प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

विविध अपील (प्रतिकर) सं. 1978/2019

1 - श्रीमती चंद्रमणि निषाद, पति- स्वर्गीय सुरेश निषाद, आयु लगभग 28 वर्ष, निवासी- ग्राम रवेलीडीह, थाना- नंदिनी, तहसील धमधा, जिला- दुर्ग, छत्तीसगढ़।

2 - राहुल निषाद, पिता- स्वर्गीय सुरेश निषाद, आयु लगभग 14 वर्ष, द्वारा- प्राकृतिक संरक्षक माता, श्रीमती चंद्रमणि निषाद, पति- स्वर्गीय सुरेश निषाद, निवासी- ग्राम रवेलीडीह, थाना- नंदिनी, तहसील धमधा, जिला- दुर्ग, छत्तीसगढ़।

3 - रवि निषाद, पिता- स्वर्गीय सुरेश निषाद, आयु लगभग 12 वर्ष, द्वारा- प्राकृतिक संरक्षक माता, श्रीमती चंद्रमणि निषाद, पति- स्वर्गीय सुरेश निषाद, निवासी- ग्राम रवेलीडीह, थाना- नंदिनी, तहसील धमधा, जिला- दुर्ग, छत्तीसगढ़।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4 - कुमारी कावेरी निषाद , पिता- स्वर्गीय सुरेश निषाद, आयु लगभग 06 वर्ष, द्वारा- प्राकृतिक संरक्षक माता, श्रीमती चंद्रमणि निषाद, पति- स्वर्गीय सुरेश निषाद, निवासी- ग्राम रवेलीडीह, थाना- नंदिनी, तहसील धमधा, जिला- दुर्ग, छत्तीसगढ़।

5 - श्रीमती सिलोचनी, पुति टेक सिंह निषाद, आयु- लगभग 50 वर्ष, निवासी- ग्राम रवेलीडीह, थाना- नंदिनी, तहसील धमधा, जिला- दुर्ग, छत्तीसगढ़।

6 - टेक सिंह निषाद, पिता- बुधारू, आयु- लगभग 60 वर्ष, निवासी- ग्राम रवेलीडीह, थाना- नंदिनी, तहसील धमधा, जिला- दुर्ग, छत्तीसगढ़।

..... याचिकाकर्ता

बनाम

1 - दिनेश कुमार सोनी, पिता- जीवन लाल सोनी, आयु लगभग 37 वर्ष, निवासी- करंजा भिलाई, थाना पुलगांव, जिला- दुर्ग, छत्तीसगढ़। (सेंट्रो कार क्रं. **CG**-04 **B**-8874 का चालक और स्वामी), जिला- दुर्ग, छत्तीसगढ़।

2 - शाखा प्रबंधक के माध्यम से इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, शाखा कार्यालय, दुकान संख्या 205, दूसरी मंजिल, एम. एम. सिल्वर भवन, उद्योग भवन के सामने, रिंग रोड संख्या 1, महावीर नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़।(सेंट्रो कार का बीमाकर्ता नं. **CG**-04 **B**-8874), जिलाःरायपुर, छत्तीसगढ़

..... गैर-अपीलार्थी

अपीलार्थियों की ओर से	:	श्री प्रवीण धुरंधर, अधिवक्ता
गैर-अपीलार्थियों की ओर से	:	श्री प्रवेश साहू, अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>एकल पीठ : माननीय श्री पार्थ प्रतिम साहू, न्यायाधीश</u>

<u>पीठ पर आदेश</u>

<u>16/06/2025</u>

1. यह अपील अपीलार्थी/दावाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत की गई है जिसमें मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण , दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा दावा प्रकरण सं. 473/2018 में पारित अपने 19.08.2019 दिनांकित अधिनिर्णय में विद्वान दावा अधिकरण द्वारा दिए गए प्रतिकर की राशि को बढ़ाने की मांग की गई है। विद्वान दावा अधिकरण ने दावा आवेदन को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए कुल रु. 9, 36, 550/- अधिनिर्णीत किए हैं।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य यह हैं कि, 12.02.2018 को संध्या लगभग 07:30 बजे, जब अपीलार्थी का पति सुरेश निषाद (मृत) सड़क के किनारे खड़ा था, उस समय, दुर्घटना कारित करने वाला वाहन अर्थात् हुंडई सैंट्रो जिसकी पंजीकरण सं. **CG** 04 **B** 8874 थी, जिसे उत्तरवादी सं. 1 द्वारा उतावलेपन और लापरवाही से चलाया जा रहा था ने सुरेश

निषाद को टक्कर मार दी और दुर्घटना कारित किया। उक्त दुर्घटना में सुरेश को गंभीर चोटें आईं, उसे इलाज के लिए उसी कार में अस्पताल ले जाया गया, परन्तु इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। दुर्घटना के बाद, भारतीय दंड विधान, 1860 की धारा 279, 304 (क) के तहत दंडनीय कथित अपराधों के लिए उत्तरवादी सं. 1 के विरूद्ध थाना नंदिनी, जिला- दुर्ग में अपराध सं. 161/2018 दर्ज की गई।

3. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विद्वान दावा अधिकरण ने यह अभिवचन तथा साक्ष्य की प्रतिदिन रु.350/- से रु.450/- कमाता था को नजरअंदाज कर अकुशल मजदूर के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी पर विचार करते हुए मृतक की आय का आकलन रु. 8,450/- करने में गलती की। इसके बाद उन्होंने तर्क दिया कि विद्वान दावा अधिकरण ने गैर-अपीलकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड की प्रति के आधार पर मृतक की आयु 50 वर्ष से अधिक होने का आकलन करने में गलती की। यद्यपि, उनके द्वारा यह साबित नहीं किया गया है कि उन्होंने आधार कार्ड की उक्त प्रति कहाँ और कैसे प्राप्त की है, जिसमें मृतक की जन्म तिथि 15.05.1967 उल्लिखित है, जबकि मृतक की जन्म तिथि 18.09.1982 है जैसा कि प्रधान पाठक, शासकीय माध्यमिक विद्यालय, बोडेगांव, विकासखण्ड व जिला- दुर्ग द्वारा जारी विद्यालय छोड़ने के प्रमाण- पत्र में उल्लेख किया गया है। दावा अधिकरण ने गैर-अपीलकर्ताओं द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ को प्रदर्शित किया है, जिसमें श्रीमती चंद्रमणि निषाद (अ.सा. -1) उसमें उल्लिखित जन्म दिनांक के संबंध में से प्रश्न किया गया है जो गलत है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. अपीलकर्ताओं ने एक आवेदन अर्थात् अंतर्वर्ती अपील सं. 01/2024 प्रस्तुत किया है, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 41 नियम 27 के तहत एक आवेदन है, जिसमें अभिलेख पर अतिरिक्त साक्ष्य लेने के लिए कहा गया है, अर्थात् विद्यालय छोड़ने का प्रमाण- पत्र जिसमें मृतक की जन्म तिथि का उल्लेख 18.09.1982 के रूप में किया गया है, विद्यालय छोड़ने के प्रमाण- पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि को देखते हुए, मृतक

की आयु घटना दिनांक को 35 वर्ष, 04 माह और 25 दिन होगी। अपीलार्थी सं. 1 अर्थात् मृतक की पत्नी की आयु भी 28 वर्ष है और इसलिए विद्यालय छोड़ने के प्रमाण-पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि भी प्रथम दृष्टया सही प्रतीत होती है। यह निवेदन किया गया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 41 नियम 27 के तहत प्रस्तुत आवेदन अंतवर्ती अपील सं. 01/2024 को स्वीकार किया जाए और प्रतिकर की राशि की गणना के उद्देश्य से मृतक की वर्ष 35 वर्ष मानी जाए।

5. दूसरी ओर, उत्तरवादी सं. 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा किए गए निवेदनों का जोरदार विरोध करते हैं और तर्क करते हैं कि विद्वान दावा अधिकरण ने अभिलेख पर लाए गए साक्ष्यों की सराहना कर आक्षेपित अधिनिर्णय पारित किया है और मृतक की आयु का उचित मूल्यांकन 51 वर्ष के रूप में किया है जिसमें दोष नहीं पाया जा सकता है। दावाकर्ताओं ने मृतक की उम्र साबित करने के लिए कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। विद्यालय छोड़ने के प्रमाण- पत्र की प्रति इस न्यायालय के समक्ष आदेश 41 नियम 27 के तहत आवेदन के साथ केवल 21.02.2024 को प्रस्तुत की गई है। कोई कारण नहीं दिया गया है या कोई औचित्य नहीं दर्शाया गया गया है कि क्यों उक्त दस्तावेज़ को मृतक की उम्र के प्रमाण में विद्वान दावा अधिकरण के समक्ष नहीं रखा जा सका है। इसके अभाव में, महत्वपूर्ण साक्ष्य को अभिलेख पर नहीं लिया जा सका।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. मैंने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और दावे के प्रकरण के अभिलेखों का अध्ययन किया है।

7. जहाँ तक मृतक की आय के आकलन का संबंध है, अपीलकर्ताओं/दावाकर्ताओं ने मृतक के व्यवसाय और आय की प्रकृति के संबंध में कोई स्वीकार्य साक्ष्य अभिलेख पर नहीं रखा है। इसके अभाव में, विद्वान दावा अधिकरण ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी को ध्यान में रखते हुए

अनुमानित आधार पर मृतक की आय का आकलन करने को उचित ठहराया अतः इसमें किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

8. विद्वान दावा अधिकरण ने भविष्य की संभावनाओं के नुकसान के लिए प्रतिकर की राशि को नहीं जोड़ा है जो **(2017) 16 एस. सी. सी. 680** में प्रतिवेदित **राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी** के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यालालय के निर्णय को देखते हुए गलत है। अपीलार्थी/दावाकर्ता प्रतिकर की राशि की गणना करने के उद्देश्य से निर्धारित आय में भविष्य की संभावनाओं के नुकसान के लिए आय को जोड़े जाने के भी हकदार हैं। अन्य शीर्षों पर दिए गए प्रतिकर की राशि भी कम है क्योंकि विद्वान दावा अधिकरण ने केवल रु. 50, 000/- अपीलार्थी सं. 1 को दांपत्य के सहचर्य के नुकसान के लिए और रु. 25, 000/- बच्चों के प्रति प्रेम और स्नेह की हानि के लिए, रु. 25,000/- अंतिम संस्कार के खर्च के लिए अधिनिर्णीत किए हैं। प्रतिकर की उपरोक्त राशि का अधिनिर्णय प्रणय सेठी (पूर्वोक्त) के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशानिर्देश के विपरीत है। दावाकर्ता मृतक के बच्चे और माता-पिता होने के कारण भी माता-पिता और संतान सहचर्य के नुकसान के हकदार हैं, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यालालय ने **(2018) 8 एस. सी. सी.** में प्रतिवेदित **मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम नानू राम @ चुहारू राम** के प्रकरण में अभिनिर्धारित किया है और प्रतिकर की राशि की फिर से गणना किए जाने की आवश्यकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. जहाँ तक दुर्घटना दिनांक को मृतक की आयु 50 वर्ष से अधिक होने के निर्धारण के संबंध में अपीलार्थी के अधिवक्ता के तर्क का संबंध है, स्वीकृत रूप से, जिस दस्तावेज़ का अवलंब विद्वान दावा अधिकरण द्वारा लिया गया है, उसे अनावेदकों द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने उक्त दस्तावेज़ को साबित नहीं किया है, परन्तु दस्तावेज़ को अपीलार्थी सं. 1 श्रीमती चंद्रमणि निषाद (अ.सा.-1) के साक्ष्य के आधार पर प्रदर्शित किया गया है। इस साक्षी ने ही उसके समक्ष प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों में जन्म तिथि के उल्लेख को स्वीकार किया। आवेदकों/दावाकर्ताओं ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के

आदेश 41 नियम 27 के तहत एक आवेदन के साथ विद्यालय छोड़ने के प्रमाण- पत्र की प्रति प्रस्तुत की है। अभिलेख में प्रस्तुत दस्तावेज भी एक शासकीय दस्तावेज़ है जिसके बारे में कहा गया है कि यह उस विद्यालय द्वारा जारी किया गया है जहाँ से मृतक ने पढ़ाई की थी। न्यायसंगत और उचित प्रतिकर के अधिनिर्णय के लिए, इस न्यायालय के मत में, आदेश 41 नियम 27 के तहत आवेदन के साथ प्रस्तुत किए गए दस्तावेज पर विचार करने और उसे साबित किए जाने की आवश्यकता है।

10. **उत्तर पूर्वी रेल्वे प्रशासन, गोरखपुर बनाम भगवान दास (मृत), विधिक प्रतिनिधियों के माध्यम से, (2008) 8 एस. सी. सी. 511** के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यालालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 27 के तहत अपीली स्तर पर अतिरिक्त साक्ष्य लेने के मुद्दे पर विचार करते हुए इस प्रकार कहा हैः

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "13. यद्यपि सामान्य नियम यह है कि आम तौर पर अपीली न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख से बाहर नहीं जाना चाहिए और अतिरिक्त साक्ष्य, चाहे वह मौखिक हो या दस्तावेजी, परन्तु धारा 107, सिविल प्रक्रिया संहिता, जो सामान्य नियम के लिए एक अपवाद तैयार करती है, एक अपीली न्यायालय को अतिरिक्त साक्ष्य लेने में सक्षम बनाती है या ऐसी शर्तों और सीमाओं के अधीन ऐसे साक्ष्य को लेना आवश्यकता बनाती है, जो निर्धारित की जा सकती हैं। ये शर्तें आदेश 41 नियम 27 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत निर्धारित की गई हैं। फिर भी, अतिरिक्त साक्ष्य को तभी स्वीकार किया जा सकता है जब उक्त नियम में निर्धारित परिस्थितियाँ मौजूद पाई जाएं। जिन परिस्थितियों में अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत किया जा सकता है, वे हैंः
>
> (i) जिस न्यायालय की डिक्री से अपील की जाती है, उसने ऐसे साक्ष्य को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है जिन्हें स्वीकार

किया जाना चाहिए था [उप-नियम (1) का खंड (क)], अथवा

(ii) अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की इच्छा रखने वाला पक्ष यह स्थापित करता है कि उचित परिश्रम के प्रयोग के बावजूद, ऐसा साक्ष्य जानकारी में नहीं था या उचित परिश्रम के प्रयोग के बाद, उसके द्वारा उस समय प्रस्तुत नहीं किया जा सका था जब उसके विरूद्ध अपील की गई डिक्री पारित की गई थी [खंड (क क), 1976 के अधिनियम 104 द्वारा जोड़ा गया था], अथवा

(iii) अपीली न्यायालय को किसी भी दस्तावेज को प्रस्तुत करने या किसी साक्षी का परीक्षण करने की आवश्यकता होती है ताकि वह निर्णय सुनाने में सक्षम हो सके, या किसी अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य से [उप-नियम (1) का खंड (ख)]।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. यह स्पष्ट है कि नियम 27 आदेश 41 सिविल प्रक्रिया संहिता के उप-नियम (1) के खंड (ख) के तहत, जिस पर हम वर्तमान प्रकरण में विचार कर रहे हैं, एक अपीली प्राधिकरण द्वारा साक्ष्य को स्वीकार किया जा सकता है यदि वह उसे निर्णय करने में सक्षम बनाने के लिए या किसी अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य से "आवश्यक" हो। नियम के दायरे, विशेष रूप से खंड (ख) का परीक्षण 1931 में प्रिवी काउंसिल द्वारा परसोतिम ठाकुर बनाम लाल मोहर ठाकुर [ए. आई. आर. 1931 पी. सी. 143] में की गई थी। यह टिप्पणी करते हुए कि आदेश 41 नियम 27 द्वारा स्पष्ट की गई धारा 107 के प्रावधानों का स्पष्ट रूप से वादी, जो निचली न्यायालय में असफल रहा है, को अपने प्रकरण के कमजोर हिस्सों को ठीक करने और अपील की न्यायालय में चूक को सुधारने की अनुमति देने का इरादा नहीं है, यह निम्नानुसार देखा

गयाः (ए. आई. आर. पृष्ठ 148)

> "... खंड (1) (ख) के तहत केवल वहीं अतिरिक्त साक्ष्य स्वीकार किया जा सकता है जहां अपीली न्यायालय इसकी 'आवश्यकता' करता है (अर्थात् इसे आवश्यक पाता है)। न्यायालय को निर्णय सुनाने या किसी अन्य महत्वपूर्ण कारण के लिए सक्षम बनाने की आवश्यकता हो सकती है, परन्तु दोनों ही प्रकरण में न्यायालय को इसकी आवश्यकता होती है।यह उपखंड का सादा व्याकरणिक वाचन है।इस विवेकाधिकार के प्रयोग के लिए वैध अवसर यह नहीं है कि जब भी अपील की सुनवाई से पहले कोई पक्ष नए साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए आवेदन करता है, परन्तु 'जब साक्ष्य की जांच की जाती है तो कुछ अंतर्निहित कमी या दोष स्पष्ट हो जाता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. के. वेंकटरमैया बनाम ए. सीताराम रेड्डी [ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 1526:(1964) 2 एस. सी. आर. 35] इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने पारसोटिम प्रकरण [ए. आई. आर. 1931 पी. सी. 143] में पूर्व उल्लिखित टिप्पणियों को दोहराते हुए कहा कि अपीली न्यायालय के पास अतिरिक्त साक्ष्य की अनुमति देने की शक्ति है, न केवल अगर उसे "निर्णय देने में सक्षम बनाने के लिए" ऐसे साक्ष्य की आवश्यकता होती है, परन्तु "किसी अन्य महत्वपूर्ण कारण" के लिए भी। ऐसे मामले हो सकते हैं जहां यद्यपि न्यायालय को लगता है कि वह अभिलेख की स्थिति पर निर्णय देने में सक्षम है, और इसलिए, वह सख्ती से यह नहीं कह सकती है कि उसे

"निर्णय देने में सक्षम बनाने के लिए अतिरिक्त साक्ष्य की आवश्यकता है", फिर भी वह मानता है कि न्याय के हित में कुछ ऐसा भरा जाना चाहिए जो अस्पष्ट है ताकि वह अपना निर्णय अधिक संतोषजनक तरीके से घोषित कर सके। इस प्रकार, यह प्रश्न कि क्या अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर किए जाने वाले दस्तावेजों को देखना, अधिक संतोषजनक तरीके से निर्णय देने के लिए आवश्यक होगा, योग्यता के आधार पर अपील की सुनवाई के समय न्यायालय द्वारा विचार किया जाना चाहिए।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. **संजय कुमार सिंह बनाम झारखंड राज्य** (2022) के प्रकरण में 7 एस. सी. सी. 217, माननीय सर्वोच्च न्यालालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित अभिनिर्धारित किया जाता है:-

"7. यह सच है कि सामान्य सिद्धांत यह है कि अपीली न्यायालय को निचली न्यायालय के अभिलेख से बाहर नहीं जाना चाहिए और अपील में कोई साक्ष्य नहीं लेना चाहिए।हालांकि, एक अपवाद के रूप में, आदेश 41 नियम 27 सीपीसी अपीली न्यायालय को असाधारण परिस्थितियों में अतिरिक्त साक्ष्य लेने में सक्षम बनाता है। यह भी सच हो सकता है कि अपीली न्यायालय अतिरिक्त साक्ष्य की अनुमति दे सकता है यदि इस नियम में निर्धारित शर्तें मौजूद पाई जाती हैं और पक्षकार, अधिकार के रूप में, ऐसे साक्ष्य को स्वीकार करने के हकदार नहीं हैं।हालांकि, साथ ही, जहां अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने की मांग प्रकरण पर संदेह के बादल को दूर करती है और साक्ष्य का मुकदमे में मुख्य मुद्दे पर प्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण असर होता है और न्याय के हित में स्पष्ट रूप से यह अनिवार्य बनाता है कि इसे

अभिलेख पर अनुमति दी जा सकती है, ऐसे आवेदन की अनुमति दी जा सकती है।यहां तक कि जिन परिस्थितियों में अपीली न्यायालय द्वारा आदेश 41 नियम 27 सी. पी. सी. के तहत अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने पर विचार किया जाना है, उनमें से एक यह है कि क्या अपीली न्यायालय को अतिरिक्त साक्ष्य की आवश्यकता है या नहीं ताकि वह निर्णय देने में सक्षम हो या किसी अन्य समान प्रकृति के ठोस कारण के लिए।

8. जैसा कि इस न्यायालय अभिनिर्धारित किया जाता है ए. एंडिसामी चेट्टियार बनाम ए. सुब्बुराज चेट्टियार [ए. एंडिसामी चेट्टियार बनाम ए. सुब्बुराज चेट्टियार, (2015) 17 एस. सी. सी. 713:(2017) 5 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 514], अतिरिक्त साक्ष्य की ग्राह्यता इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि मुद्दे की प्रासंगिकता क्या है, या इस तथ्य पर कि क्या आवेदक को पहले स्तर में ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर मिला था या नहीं, परन्तु यह इस बात पर निर्भर करता है कि अपीली न्यायालय को निर्णय देने में सक्षम बनाने के लिए या किसी अन्य महत्वपूर्ण कारण के लिए प्रस्तुत करने के लिए मांगे गए साक्ष्य की आवश्यकता है या नहीं। यह आगे देखा गया है कि अंतः वास्तविक परीक्षा यह है कि क्या अपीली न्यायालय प्रस्तुत किए जाने के लिए मांगे गए अतिरिक्त साक्ष्य को प्रतिफल रखे बिना अपने समक्ष प्रस्तुत सामग्री पर निर्णय देने में सक्षम है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. प्रकरण के संपूर्ण तथ्यों, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 का उद्देश्य विधि का एक लाभकारी हिस्सा होने और इसके अलावा, **2009 (6) SCC 121** में प्रतिवेदित **सरला वर्मा व अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम व एक अन्य** के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च

न्यालालय के निर्णय, को ध्यान में रखते हुए कि मृतक के परिवार के सदस्य/ दावाकर्ताओं को उचित प्रतिकर अधिनिर्णित किया जाना चाहिए अतः मैं सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 41 नियम 27 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार करना उपयुक्त समझता हूँ। तदानुसार आदेश पारित किया जाता है। परिणामस्वरूप आक्षेपित अधिनिर्णय को अपास्त किया जाता है।

13. चूंकि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 41 नियम 27 के तहत प्रस्तुत आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेज़ और विद्यालय छोड़ने के प्रमाण- पत्र की प्रति को अभिलेख पर ठोस साक्ष्य लाकर साबित करने की आवश्यकता है, इसलिए मुझे विद्वान दावा अधिकरण द्वारा पारित आक्षेपित अधिनिर्णय को अपास्त करने और पक्षकारों को विधि के अनुसार विद्यालय छोड़ने का प्रमाण- पत्र साबित करने का अवसर प्रदान करने हेतु संबंधित दावा अधिकरण के समक्ष प्रकरण को वापस भेजना उचित लगता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. विद्वान दावा अधिकरण संबंधित पक्षों को विद्यालय छोड़ने के प्रमाण- पत्र को साबित करने का अवसर देने के बाद **सरला वर्मा (पूर्वोक्त)**, **प्रणय सेठी (पूर्वोक्त)** और **नानू राम (पूर्वोक्त)** के प्रकरण में सर्वोच्च न्यालालय के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए पूरे साक्ष्य पर विचार करते हुए नए सिरे से एक अधिनिर्णय पारित करेगा। पक्षकारों को 06.08.2025 को दावा अधिकरण के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया।

15. रजिस्ट्री को आदेश की प्रति के साथ दावा प्रकरण के अभिलेख तुरंत प्रेषित करने का निर्देश दिया जाता है।

16. प्रमाणित प्रतिलिपि नियमानुसार।

सही/-

(पार्थ प्रतिम साहू)

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur